



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYAVIDYALAYASANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय /BHOPAL REGION

E.Mail:acbhopal@yahoo.com

Phone:2550728(DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax: 0755-2553126
मैदा मिल के सामने
भोपाल(म.प्र.)
Opp. Maida Mills
Bhopal-462011

F.14058/1/2018/KVS(BPL) 9952-94

Dated : 10/08/2018

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय संवीक्षा / पदोन्नति समिति की दिनांक 06/08/2018 को सम्पन्न हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर विभिन्न वर्गों के निम्नलिखित शैक्षणिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने संबंधित वर्ग में दर्शाये गये वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेबल(पे बैंड एवं ग्रेड पे) की कॉलम संख्या 05 में अंकित की गई दिनांक से वरिष्ठ वेतनमान(Senior Scale) की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


S. No.	Name of the Teacher	Name of KV	Date from which the present post is hold on regular basis	Date of sanction of Senior Scale
1	2	3	4	5
POST GRADUATE TEACHER(PGT) : SENIOR SCALE- Pay Matrix Level-10 (PB-III, Rs.15,600-39,100/- & GP Rs.5400/-)				
1	SMT BHAVNA KHARE PGT(PHY)	SEHORE	01.12.2005	01.12.2017
2	SH SANJAY KUMAR DUBEY PGT(PHY)	BAIRAGARH	29.11.2005	29.11.2017
3	SMT FARZANA FRANKLIN PGT(BIO) Retired on superannuation w.e.f. 28/02/2018	MHOW	01.08.2002	09.08.2015*
*EOL on pvt. ground w.e.f. 02.08.2002 to 09.08.20022.Penalty of witholding one increment vide order dated 09.09.2004.				
Total=03(Three) cases				
TRAINED GRADUATE TEACHER(TGT) SENIOR SCALE- Pay Matrix Level-08 (PB-II, Rs.9,300-34,800/- & GP Rs.4800/-)				
1	SH RAJESH VASHISHTH TGT(Eng)	AFS AMLA	10.09.2003	10.09.2015
2	SH BRIJ BIHARI LAL TGT(Maths)	DATIA	08.12.2005	08.12.2017
Total=02(Two) Cases				
PRIMARY TEACHER(PRT) : SENIOR SCALE - Pay Matrix Level-07 (PB-II, Rs.9,300-34,800/- & GP Rs.4600/-)				
1	SMT SHEELA TRIPATHI	NO.1 (1st Shift) Gwalior	16.08.1995 Reinstated w.e.f. 30.11.2005	01.12.2017 (As per condition of Reinstatement Order dated 09/11/2005)
2	SMT NEELAM SARASWAT	NO.1 (1st Shift) Gwalior	21.02.2005	21.02.2017
Total=02(Two) Cases				

संबंधित शिक्षक जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं वे इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर अपना वेतन निर्धारण विकल्प प्रस्तुत करें।

के दि सं भोपाल संभारा


समिति ने निम्नलिखित प्रकरणों पर भी वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति के संबंध में प्रावधान अनुसार विचार किया, किन्तु संबंधित केन्द्रीय विद्यालयों के द्वारा प्रेषित जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उनके सम्मुख दर्शाए गए कारणों से स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की -

S. No.	Name of the Teacher	Name of KV	Date from which the present post is hold on regular basis	REASON
1	2	3	4	5
1	SHRI RADHEY SHYAM PANDEY, PGT(PHY) Retired on superannuation w.e.f. 31/07/2017	MURENA	02.08.2002	उच्चतर व्यवसायिक/शैक्षणिक योग्यता न होने एवं 21 दिवसीय इनसर्विस कोर्स में प्रतिभागिता न होने के कारण।
2	DR. DEEN MOHAMMED KHAN, PGT (MATHS)	KV NO.3 GWALIOR	18.10.2005	Not eligible for this DSC due to penalty of reduction to a lower stage for a period of two years.
3	SH ARUN KUMAR SHRIVASTAVA, PGT(ENG)	NO.2 BHOPAL	23.11.1995	सेवा अभिलेख (Service Records) ठीक न होने के कारण
TOTAL= 03(Three) Cases				


(सुनील श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त एवं
उपायुक्त(प्रभारी)

वितरण -

- संबंधित शिक्षक/शिक्षिकां ।
- प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया इस आदेश की प्रति को संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में भी चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें । संबंधित के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा । अतः वेतन निर्धारण के लिये सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका के साथ प्रेषित करें । इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी / सूचना के आधार पर ही संबंधित शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया है । अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें । यदि संबंधित शिक्षक का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ।
- संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय), नई दिल्ली ।
- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
- वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- अध्यक्ष/सचिव, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी संगठन, भोपाल संभाग ।


उपायुक्त(प्रभारी)
के0वि0सं0, क्षेत्र0का0 भोपाल